



अग्नि सुरक्षा पर जागरूकता अभियान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 14 अप्रैल, 2024 को 'राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिये अग्नि सुरक्षा सुनिश्चिती करें' विषय के तहत [राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस](#) मनाया गया।

मुख्य बंदि:

- यह दिनि उन सभी साहसी अग्निशामकों के भी सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने वर्ष 1944 में मुंबई डॉकयार्ड में एक जहाज़ वसिफोट के दौरान अपने जीवन का बलदिन दयािा था।
- अग्निशमन वभिाग ने शॉर्ट सर्किट, गैस रसिाव या आगजनी को रोकने की दशिा में नविारक उपायों के बारे में दुकान मालकिों और नवासिियों को शकि्षति करने के लयाि आवासीय कषेत्रों, अपार्टमेंट, औद्योगकि इकाइयों, बाज़ारों, मॉल तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में व्यापक जागरूकता अभयािान चलाया है।

भारत में अग्नि सुरक्षा के संबंघ में वर्तमान प्रावधान

- अग्निशमन सेवा देश की सबसे महत्त्वपूर्ण आपातकालीन प्रतिकरयािा सेवाओं में से एक है, जो नगरपालकिा कार्यों से संबंघति भारतीय संबंघान की 12वीं अनुसूची के अंतरगत आती है।
 - वर्तमान में, आग की रोकथाम और अग्निशमन सेवाएँ संबंघति राज्यों एवं केंद्रशासति प्रदेशों (UT) तथा शहरी स्थानीय नकिायों (ULB) द्वारा आयोजति की जाती हैं।
- भारत का राष्ट्रीय भवन कोड (NBC), 2016: भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशति, NBC एक "अनुशंसति दसतावेज़" है और राज्य सरकारों से अपेकषा की जाती है कि वे कानूनों द्वारा इसे अपने स्थानीय भवन में शामिल करें, जिसे सफिरशिं एक अनविार्य आवश्यकता बन जाएंगी।
 - इसमें मुख्य रूप से प्रशासनकि नयिम, सामान्य भवन आवश्यकताएँ जैसे अग्नि सुरक्षा आवश्यकताएँ, संरचनात्मक डिज़ाइन और निर्माण (सुरक्षा सहति) प्रावधान शामिल हैं।
- मॉडल बलिडगि उपनयिम, 2003: इसके तहत प्रत्येक बंदि पर अग्नि नकिासी मुख्य अग्निशमन अधिकारी की ज़मिमेदारी है। संबंघति वकिास प्राधकिरण को मंजूरी उद्देश्यों के लयाि मुख्य अग्निशमन अधिकारी को भवन योजना प्रदान करनी होगी।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधकिरण के दशिा-नरिदेश अस्पतालों सहति सार्वजनकि भवनों के लयाि अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ-साथ खुली जगह, नकिास तंत्र, सिंढयिों और नकिासी डरलि के न्यूनतम स्तर को बनाए रखने से संबंघति डिज़ाइन दशिा-नरिदेशों को नरिधारति करते हैं।